


एडीए ने चार भवन किया सील

इलाहाबाद, २१ अक्टूबर। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के जोनल अधिकारी डा. विश्राम (पीसीएस) के नेतृत्व में जोन-३ के अन्तर्गत गोविन्दपुर, चांदपुर सलोरी, छोटा बघाड़ा आदि क्षेत्रों

सात भवन मालिकों को दी चेतावनी

में चार अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सील बन्दी की कार्यवाही की गयी। इसमें गोविन्दपुर के विद्याभूषण शुक्ला भुलई का पुरा, गोविन्दपुर के मनीष त्रिपाठी व सर्वेश त्रिपाठी भुलई का पुरा, चांदपुर सलोरी के उमेश चन्द्र द्विवेदी, छोटा बघाड़ा के अजय यादव के मकान सील कर दिये गये हैं। इसके साथ ही सात अवैध निर्माण स्थलों से कार्य बन्द करारते हुए निर्माण सामग्री जब्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने का कठोर निर्देश दिया गया। इस दौरान जोनल



एडीए द्वारा सील किया गया अवैध निर्माण।

अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता डी.के. पाण्डेय, भवन निरीक्षक घनश्याम तिवारी, भवन निरीक्षक विजय शंकर पाण्डेय, प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल भी सम्मिलित थे। एडीए की तरफ से इस तरह के अभियान चलते रहेंगे।

मुनाइड भवन 22/10/16

चार अनधिकृत निर्माण सील

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी डॉ. विश्राम, के नेतृत्व में जोन- तीन के अन्तर्गत गोविन्दपुर, चांदपुर सलोरी, छोटा बघाड़ा आदि क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सील बन्दी की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान विद्याभूषण शुक्ला भुलई का पुरा, गोविन्दपुर, उमेश चन्द्र द्विवेदी ओम गायत्री नगर, चांदपुर सलोरी, तथा अजय यादव ढरहरिया, छोटा बघाड़ा के निर्माण सील किये गये। इसके अतिरिक्त सात अवैध निर्माण स्थलों से कार्य बन्द कराते हुए निर्माण सामग्री जब्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु कठोर निर्देश एवं चेतावनी दी गयी। इस कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता डी.के. पाण्डेय, भवन निरीक्षक घनश्याम तिवारी, भवन निरीक्षक, विजय शंकर पाण्डेय, प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल भी सम्मिलित थे। जोनल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियान निरन्तर जारी रखा जायेगा।

आज 22/10/16

एडीए ने चार अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की सीलबन्दी की कार्यवाही

इलाहाबाद। जोनल अधिकारी डा. विश्राम, (पी. सी. एस.) के नेतृत्व में जोन-3 के अंतर्गत गोविन्दपुर, चांदपुर सलोरी, छोटा बघाड़ा आदि क्षेत्रों में 4 अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सील बन्दी की कार्यवाही की गयी। विद्याभूषण शुक्ला भुलई का पुरा, गोविन्दपुर इलाहाबाद। मनीष त्रिपाठी व सर्वेश त्रिपाठी भुलई का पुरा, गोविन्दपुर, इलाहाबाद। उमेश-चन्द्र द्विवेदी ओम गायत्री नगर, चांदपुर सलोरी, इलाहाबाद। अजय यादव, ढरहरिया, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद।

उपरोक्त के अतिरिक्त सात अवैध निर्माण स्थलों से कार्य बन्द कराते

हुए निर्माण सामग्री जब्त करते हुए मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु कठोर निर्देश एवं चेतावनी दी गयी। उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता डी.के. पाण्डेय, भवन निरीक्षक घनश्याम तिवारी, भवन निरीक्षक, विजय शंकर पाण्डेय, प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल भी सम्मिलित थे। जोनल अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियान निरन्तर जारी रखा जायेगा।

आज 22/10/16

चार अवैध निर्माण सील

इलाहाबाद। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण दस्ते ने शुक्रवार को जोन संख्या तीन में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये चार अवैध निर्माण सील कर दिये। जोनल अधिकारी डा. विश्राम की अगुवाई में कार्यवाही के दौरान दस्ते ने गोविन्दपुर, ओमगायत्री नगर, ढरहरिया, बघाड़ा, में बिना मानचित्र निर्मित हो रहे आवासीय भवनों को सील कर दिया। इसके अलावा इन्हीं स्थानों पर सात जगहों से निर्माण सामग्री भी जब्त की गई। कार्यवाही के दौरान प्राधिकरण प्रवर्तन दल के कर्मचारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा।

आज 22/10/16

एडीए ने सील किए अवैध निर्माण

इलाहाबाद : अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे एडीए के अभियान के तहत शुक्रवार को कछारी इलाकों में चार अवैध निर्माण सील कराए गए। वहीं सात घरों के निर्माण रुकवाया। जोनल अधिकारी डा. विश्राम के नेतृत्व में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला। उन्होंने गोविन्दपुर भुलई का पुरा में विद्याभूषण शुक्ला, मनीष त्रिपाठी, चांदपुर सलोरी ओम गायत्री नगर में उमेश चन्द्र द्विवेदी और छोटा बघाड़ा ढरहरिया में अजय यादव के अवैध निर्माणों को सील बंद कर दिया। साथ ही वहां मौजूद सामग्री जब्त कर ली है। इसके अलावा टीम ने इन इलाकों में सात अवैध निर्माण स्थलों का कार्य बंद कराते हुए उन्हें मानचित्र स्वीकृत कराने को कहा है।

दैनिक जागरूक 22/10/16

चार मकान किए सील

इलाहाबाद। एडीए ने गंगा किनारे मोहल्लों में चार अवैध निर्माण सील कर दिया। जोनल अधिकारी पीएन यादव के नेतृत्व में एडीए का दस्ते ने शुक्रवार को गोविन्दपुर, छोटा बघाड़ा, चांदपुर सलोरी में चार मकान सील किए।

दैनिक जागरूक 22/10/16